कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल याचिका संख्या 5022/2021 आरिफ मोहम्मद बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 22.03.2021 में याचिकार्थी को अप्रार्थीगण के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं अप्रार्थीगण को याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को निस्तारित करने के निर्देश दिये गए।

याचिकार्थी ने अपने अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह कथन किया है कि याचिकार्थी वर्तमान में राउमावि, ईडरा, ब्लॉक–डूंगला, जिला–चितौड़गढ़ में वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान) के पद पर कार्यरत है, जबकि वह कोटा मण्डल के झालावाड़ जिले का निवासी है। याचिकार्थी विकलांग कोटे से है, अतः याचिकार्थी ने चितौड़गढ़ जिले (उदयपुर मण्डल) के स्थान पर गृह जिला झालावाड़ (कोटा मण्डल) आवंटित कर पदस्थापन की मांग की है।

याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.03.2021 के परिप्रेक्ष्य एवं विभागीय नियमों, अभिलेखीय व नीतिगत स्थिति के सम्बन्ध में गहन अवलोकन व परीक्षण किया गया। विभागीय नीति अनुसार भर्ती वर्ष 2013 में जितने पद मण्डलवार/विषयवार एवं वर्गवार विज्ञापित किये गये हैं, उन मण्डलों को उतनी ही संख्या में चयनित अभ्यर्थी विषयवार एवं वर्गवार विज्ञापित रिक्तियों की संख्या तक आवेदन पत्र में अंकित स्थाई पते के आधार पर निर्धारित मण्डल एवं आयोग द्वारा निर्धारित वरीयता के अनुसार आवंटित किये जाने थे। याचिकार्थी का आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान) विषय में वर्ग OBC.LD व चयन वर्ग BCM में वरीयता क्रमांक 1786 पर चयन किया जाना पाया गया। इनसे संबंधित वर्ग व चयन वर्ग में निर्धारित उपलब्ध रिक्तियों के प्रति याचिकार्थी के समान वर्ग व चयन वर्ग के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों में आयोग की वरीयता अनुसार विभागीय नीति अनुसार निर्धारित किये गये कोटा मण्डल में यह स्पष्ट किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ अध्यापक द्वितीय श्रेणी विभिन्न विषयों के रिक्त पदों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग से भर्ती 2013 में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु मण्डल आवंटन के संबंध में दिनांक 01.12.2014 को निर्देश प्रदान किये गये, जिसके अनसार ही मण्डल आवंटन किया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि याचिकार्थी से संबंधित वर्ग में अंतिम आंवटित अभ्यर्थी वरीयता क्रमांक 827 रहा है, जो कि BCM के पद पर चयनित हुए है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि याचिकार्थी से संबंधित वर्ग में किसी कनिष्ठ अभ्यर्थी को विभागीय नीति अनुसार कोटा मण्डल निर्धारित किया जाकर नियुक्ति हेतु कोटा मण्डल आवंटित नहीं किया गया है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा भी एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11311/2015 श्वेता बनाम सरकार में यह निर्णय पारित किया है कि "the appointment can be claimed as a matter of right but posting can not be claimed as a matter of right because it is the prerogative of the employer to take work from the employee as per availability of post." इस प्रकार कार्मिक द्वारा इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारस्वरूप नहीं की जा सकती। कार्मिक की व्यक्तिगत परिस्थितियों के आधार पर कार्मिक के पक्ष में इच्छित स्थान पर पदस्थापन का अधिकार सृजित नहीं होता है।

याचिकार्थी द्वारा गृह मण्डल में वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान) के वर्तमान में पद रिक्त होने के आधार पर आवंटन की मांग के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 1971 के अनुसार वरिष्ठ अध्यापक का पद मण्डल स्तर का है, जिसका नियुक्ति अधिकारी संबंधित मण्डल का संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) (पूर्व में उप निदेशक) है। अतः संयुक्त निदेशक (समस्त सम्भाग) रोस्टर के आधार पर वर्गवार आरक्षण के अनुसार अर्थना तैयार कर विभाग को प्रेषित करता है। विभाग सभी मण्डलों से वर्गवार प्राप्त अर्थना को संकलित कर वर्गवार योग्य अभ्यर्थियों के चयन हेतु अर्थना आयोग को प्रेषित करता है। आयोग परीक्षा का आयोजन कर अर्थना में प्रदर्शित वर्गवार अभ्यर्थियों का चयन कर वर्गवार एवं चयन वर्गवार अभिस्तावना विभाग को नियुक्ति हेतु प्रेषित करता है। आयोग से वर्गवार एवं चयन वर्गवार अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु प्राप्त अभिस्तावना के अनुसार विभाग द्वारा मण्डल आवंटन की कार्यवाही आयोग को प्रेषित मण्डलवार वर्गवार अर्थना की सीमा तक की जाती है। जिस मण्डल में वर्गवार जितने पद विज्ञापित किये जाते है, उतने ही अभ्यर्थी वर्ग एवं चयन वर्गवार नियुक्ति हेतु आवंटित किये जाते है। इस प्रकार मण्डल आवंटन के समय अथवा वर्तमान में किसी मण्डल या जिले में रिक्त पद के आधार पर याचिकार्थी द्वारा पदस्थापन की मांग औचित्यपूर्ण नहीं है।

अतः याचिकार्थी द्वारा चितौड़गढ़ जिला (उदयपुर मण्डल) के स्थान पर कोटा मण्डल आवंटित कर गृह जिले झालावाड़ जिले में पदस्थापित करने की मांग उपर्युक्त वस्तुस्थिति एवं विभागीय नीति के परिप्रेक्ष्य

में उचित नहीं पाई गई है। मांग उचित नहीं पाये जाने के कारण इस मांग को अस्वीकृत की जाकर अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान,बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा–मा./संस्था/एफ–2/को.के./जोध./12966/2021 दिनांकः– 02/09/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, कोटा/उदयपुर संभाग
2. संयुक्त विधि परामर्शी, कार्यालय हाजा।
3. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
4. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) विधि, जोधपुर
5. याचिकार्थी आरिफ मोहम्मद वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान रा.उ.मा.वि., ईडरा, ब्लॉक–डूंगला, जिला–चितौड़गढ़।
6. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)